

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana

P.S. (थाना): ACB, Gurugram

Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):  
03/03/2026 14:58 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Tuesday

Date from (दिनांक से):  
03/03/2026

Date To (दिनांक तक):  
03/03/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar  
5

Time From (समय से): 14:20  
hrs

Time To (समय तक): 14:20  
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):  
03/03/2026

Time (समय): 14:25  
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014

Date and Time (दिनांक और समय):  
03/03/2026 14:37  
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 5 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नगर निगम गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):


(a) Name (नाम): मुकेश कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री राय सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/01/1978

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):



(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राजीव कालोनी, गांव नाहरपुररूपा जि० गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राजीव कालोनी, गांव नाहरपुररूपा जि० गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8851759049

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कपिल यादव			1. कर्मचारी नगर निगम गुरुग्राम 1, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------




## 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, निरीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। श्री मान जी, मैं मुकेश कुमार पुत्र श्री राय सिंह वासी राजीव कालोनी गांव नाहरपुर रूपा जिला गुरुग्राम का रहने वाला हूँ और मेरा प्लॉट सैक्टर-72A गांव बहरामपुर गुरुग्राम में है। जिस पर मकान का निर्माण कर रहा हूँ दिनांक 25.02.2025 को मेरे मकान एक नोटिस नगर निगम गुरुग्राम JC-1 द्वारा मेरे मकान पर चिपकाया गया। ओर मेरे मकान का निर्माण कार्य बन्द करवा दिया। उस समय मेरी पत्नी घर पर थी मैं डियूटी पर था उसके बाद मेरे पास दिनांक 25 व 26.02.2026 को मोबाइल नं० 8448120030 से फोन प्राप्त हुआ कि जो अपने आप को कपिल यादव बता रहा था जिसने बतलाया कि मैंने साहब से बात कर ली है आप हमारे कार्यालय में आया उसके बाद नगर निगम कार्यालय के बाहर गया जहां पर मुझे कपिल यादव मिला। जिसने मुझे कहा कि हर लैन्टर पर 70 हजार रुपये लगेंगे उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी सरकारी नौकरी करता हूँ उसके बाद उसने प्रत्येक लैन्टर पर 50 हजार रुपये देने बारे तय हुआ उसके बाद मैंने कहा मेरे पास अब रुपये नहीं जो उसने कहा कि आप दिनांक 03.02.2026 को 50,000 रुपये दे देना नहीं तो आपका मकान को तोड़ देगे। उसके बाद आज सुबह 9.40 AM पर कपिल यादव मोबाइल नं० 8448120030 से मेरे मोबाइल नं० 8851759049 आया की आज तीन तारीख है। ओर आप 50,000 रुपये लेकर आना था लेकिन आप नहीं आये इसलिए आपका मकान JCB से तोड़ दिया जावेगा। उसके बाद मैंने कपिल से कहा कि मैं डियूटी पर हूँ मैं होली के बाद आपको 50,000 रुपये दे दुंगा। लेकिन कपिल ने कहा आज ही देने हैं नहीं तो आपका मकान JCB से तोड़ दिया जावेगा। जो उसके बाद मैंने कपिल से उसके मोबाइल पर लेन-देन की बातचित की ओर मैंने कहा कि मेरे पास 40,000 रुपये ही बने हैं। तो उसने कहा कि आप लेकर आ जाओ। कपिल यादव मुझे पर मेरे मकान JCB से तोड़ने का भय दिखाकर रिश्त के तौर पर 50,000 रुपये की मांग कर रहा हूँ परन्तु मेरे पास अब 40,000 हजार रुपये ही बने हैं। मैंने रिश्त के लेन-देन की बातचित रिकॉर्ड कर ली है। जो आपको बाद में पेश कर दुंगा। मैं कपिल यादव कर्मचारी नगर निगम गुरुग्राम को रिश्त नहीं देना चाहता हूँ ओर ना ही मेरे कपिल से कोई लेने बकाया हूँ ओर ना ही कोई दुश्मनी है। कपिल यादव कर्मचारी नगर निगम गुरुग्राम के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। SD मुकेश, मुकेश कुमार पुत्र श्री राय सिंह वासी राजीव कालोनी गांव नाहरपुर रूपा जिला गुरुग्राम, मोबाइल 8851759049, दिनक-03-03-2026 पुलिस कार्यवाही - आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय हूँ कि शिकायतकर्ता मुकेश कुमार पता उपरोक्त ने मुलाकी होकर उपरोक्त दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की जो दरखास्त के अवलोकन व मजबुन से जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 308(2) BNS का अपराध सरजद होना पाये जाने पर एक रैडिंग पार्टी तैयार की गई जिसमें SI सतीश कुमार, HC इन्द्रजीत सिंह, ASI अनुप सिंह व EHC दिनेश कुमार को तैयार किया गया व डियूटी मैजिस्ट्रेट व छाया गवाह को बजरिया टेलिफोन सुचित करके पहुँचने बारे अवगत किया जाकर एक तहरीर बराये करवाने दर्ज मुकदमा बदस्त EHC दिनेश कुमार के हाथ भेजी जा रही है जो बाद दर्ज अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार इलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाया जाए। मन निरीक्षक मय तफतीश बैग मय गाडी सरकारी मय मुलाजमान को डियूटी मैजिस्ट्रेट व शिकायतकर्ता के रवाना घटनास्थल का होता हूँ। अज - कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास, नि० राजकरण सिंह 130/NNL, PS SV ACB GGM DT 3-3-2026 AT - 2.20 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो नियमानुसार अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाली EHC दिनेश कुमार न० 1144/रेवाडी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि० राजकरण के पास भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAJ KARAN Rank (पद): I (Inspector)



No. (सं.): 130NNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.  
(आर.ओ.ए.सी.)

*Madam K*  
Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal *Madam*

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94 *175/4504*

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

